महत्वपूर्ण एवं खास

श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया करते 12 संदिग्ध हिरासत में

बिलासपुर (आरएनएस)। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र स्थित निरतु गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया करते हुए 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी संदिग्ध छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, यह लोग पीपल के पेड़ के नीचे नींबू, मिर्च, सिंदूर और सब्बल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। इस दौरान चार महिलाएं और आठ पुरुष शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह अनुष्ठान एक युवती के स्वास्थ्य सुधार के लिए किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस अजीबोगरीब घटनाक्रम से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

स्टेशनरी सामग्री के लिए 14 मई तक निविदा आमंत्रित

रायगढ़। जिला कार्यालय एवं रायगढ़ जिले में संचालित अन्य शासकीय कार्यालयों के उपयोग के लिए लेखन सामग्री (स्टेशनरी)एवं टोनर, काट्रेज इत्यादि क्रय करने हेतु मानक दरों तथा अधिकृत सप्लायर्स का निर्धारण किए जाने हेतु अधिकृत सप्लायरों से निविदा कार्यालयीन समय में आमंत्रित किया जाता है। अधिकृत सप्लायर निविदा कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ में 14 मई 2025 को दोपहर 1 बजे तक कक्ष क्रमांक 32 में प्रस्तुत कर सकते है। निविदा खोलने की तिथि 14 मई को ही अपरान्ह 3.30 बजे कलेक्टर परिसर, रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में निर्धारित की गई है। विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अवलोकन कर सकते है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा निर्माण व आपूर्ति के लिए 21 अप्रैल तक मंगाए गए आवेदन

महिला स्व-सहायता समूह महिला बाल विकास विभाग में कर सकते है आवेदन

रायगढ़। जिले के बाल विकास परियोजना/परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा का निर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सक्षम महिला स्व-सहायता समूहों से आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह अपना आवेदन 21 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में डाक/कोरियर के माध्यम से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में भेज सकते है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास एल.आर. कच्छप ने बताया कि इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह इससे संबंधित शर्तें व विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास/बाल विकास परियोजना समस्त जिला रायगढ़ के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है अथवा रायगढ़ जिले की वेबसाईड में https://raigarh.gov.in अवलोकन कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

रायगढ़। तहसील खरसिया के ग्राम-देहजरी निवासी कमलेश्वर पटैल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के पश्चात एसडीएम खरसिया द्वारा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की अनुशंसा पर मृतक की पत्नी उर्मिला को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

22 टन अवैध कबाड़ लोड़ ट्रक तथा अवैध रेत परिवहन में लिप्त एक डम्फर और दो ट्रैक्टर वाहन जब्त

अवैध रेत और कबाड़ परिवहन पर पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्यवाई, चार वाहन जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने पूंजीपथरा पुलिस ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में तगड़ी कार्रवाई करते हुए बिना दस्तावेज रेत और कबाड़ का परिवहन कर रहे चार वाहनों को जब्त किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और उप पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में की गई।

पुलिस टीम ने तराईमाल मेन रोड पर ट्रैक्टर क्रमांक CG13BB2454 को बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन करते पकड़ा, जिसे आमापाल निवासी गौरी प्रसाद राठिया पिता आशराम राठिया उम्र 40 साल सा० आमापाल थाना पूंजीपथरा चला रहा था। वहीं देलारी मेन रोड पर एक 18 चक्का डंपर क्रमांक CG13AL5571 को भी अवैध रेत परिवहन करते रोका गया, जिसे किशन कुमार चौहान पिता शनीलाल चौहान उम्र 28 साल ग्राम धौराभांठा थाना सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ छ०ग० चला रहा था। इसी क्रम में लाल रंग के बिना नंबर के एक अन्य ट्रैक्टर को भी चुमन राठिया पिता भरतलाल राठिया उम्र 23 साल सा० आमापाली थाना पूंजीपथरा द्वारा बिना वैध कागजात के रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। तीनों वाहनों को रेत सहित थाने में खड़ा कर उनके चालकों के विरुद्ध पृथक-पृथक इस्तगासा क्रमांक 01/2025, 02/2025 और 03/2025 के तहत BNSS की धारा 106 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

वहीं दूसरी कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग के दौरान तमनार चौक पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दस चक्का ट्रक क्रमांक CG13L8250 को कबाड़ परिवहन करते पकड़ा। वाहन चालक मोहम्मद समीम, पिता गफ्फुर मोह० उम्र 33 वर्ष सा० रानी बगीचा थाना सुन्दरगढ जिला सुन्दरगढ़ उडिसा, कबाड़ का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। शक के आधार पर वाहन को जप्त कर जांच की गई, जिसमें करीब 22 टन लोहे का स्क्रैप कबाड़ बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख 60 हजार रुपये बताई गई। आरोपी के विरुद्ध BNSS की धारा 35(क)(ड) एवं BNS की धारा 303(2) के तहत इस्तगासा क्रमांक 11/2025 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस और गवाहों से बहस करने लगा, जिस पर उसे प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पूरी कार्रवाई में निरीक्षक राकेश मिश्रा के साथ उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का, सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, राम प्रसाद यादव, नंदसाय कंवर, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी और विक्रम कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध कारोबारियों पर इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

सीएमएचओ डॉ.जगत ने सीएचसी लैलूंगा में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

❒ आईपीडी मरीजों के आयुष्मान कार्ड बनाने एवं एनीमिक महिलाओं को एनीमिया से बचाव के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लैलूंगा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लारीपानी में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान डॉ. भानुप्रताप पटेल, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, डॉ. सुमित कुमार शैलेन्द्र मण्डल, जिला नोडल अधिकारी उपस्थित रहें।

सीएमएचओ डॉ.जगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लैलूंगा पहुंचकर समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के रिकार्ड संधारण एवं रिपोर्टिंग की समीक्षा की और वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल की साफ -सफाई और मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य केंद्र में सभी अधिकारी/ कर्मचारियों को निर्धारित समय पर ड्यूटी में उपस्थित होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सेक्टर प्रभारियों से एम.टी बैठक में उच्च जोखिम गर्भवती की जांच कर संभावित प्रसव की अंतिम तिथि अनुसार टेलीफोनिक माध्यम व गृह भेंट के दौरान सम्पर्क कर संस्था में प्रसव कराने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत आईपीडी मरीजों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने एनीमिक महिलाओं को एनीमिया से बचाव व खान पान पर विशेष ध्यान रखने एवं बेहतर इलाज करने एवं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रर्याप्त मात्रा में ओ.आर.एस. घोल बनाने के निर्देश दिए।

सम्मान और सुरक्षा का भाव महसूस करा रही प्रधानमंत्री आवास

❒ पीएम आवास योजना ने बदली रीना श्रीवास की जिंदगी, पक्का आवास का सपना हुआ साकार

रायगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने जिले के लाखों परिवारों के सिर पर सुकून का छत देने का कार्य कर रही है। जिससे हितग्राहियों को सुरक्षा का भाव मिलने के साथ है उनके जीवन स्तर में बदलाव भी आया है। पीएम आवास योजना के तहत जनपद पंचायत लैलूंगा के ग्राम पंचायत कुंजारा निवासी रीना श्रीवास को अपने आवास का सपना पूरा करने का अवसर मिला।

रीना श्रीवास ने बताया कि उनके पति सैलून में कार्य कर अर्जित आय से घर की जिम्मेदारी उठा रहे है, जिससे बचत हो पाना कठिन है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका कच्चा मकान जर्जर स्थिति में था। जिससे बरसात के दिनों में घर में पानी भर जाता था और परिवार को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन्हें पक्के मकान की स्वीकृति मिलने से दोगुनी खुशी के साथ उनके जीवन को एक नई दिशा दी।

रीना श्रीवास ने अपनी मेहनत और सरकार की मदद से आवास के कार्य को समय पर पूरा किया और बीते 30 मार्च 2025 को विधिवत गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के इस खास मौके पर उन्होंने अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत की। रीना श्रीवास ने खुशी जाहिर करते हुए कहा अब हमारे पास खुद का पक्का घर है। बारिश के दिनों में अब डर नहीं रहेगा और बच्चों के लिए भी सुरक्षित माहौल रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें आवास के माध्यम से सम्मान और सुरक्षा का भाव महसूस करा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि योजना ने न केवल लोगों को घर दिया है, बल्कि उनके पक्के मकान के सपनों को भी साकार कर रही है।

65 लीटर महुआ शराब के साथ महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार, शराब बनाने के पात्र जब्त

❒ प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर की अगुवाई में अवैध शराब पर एक साथ तीन स्थानों पर दी गई दबिश

रायगढ़

"सुशासन तिहार" के तहत आमजन की समस्याएं सुनने और त्वरित निराकरण की दिशा में सक्रिय प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर एवं थाना प्रभारी खरसिया द्वारा लगातार क्षेत्र के ग्रामों का दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ग्राम कोडाभांठा गीधा और सोनबरसा के भ्रमण के दौरान पुलिस को अवैध शराब संग्रहण और निर्माण की पुख्ता जानकारी मिली, जिस पर मेहर ने तत्काल टीम के साथ तीन स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में महुआ शराब जब्त की।

पहली कार्रवाई ग्राम कोडाभांठा गीधा में की गई, जहां संदेही आशिष जायसवाल, उम्र 28 वर्ष, पिता मयाराम जायसवाल के घर दबिश दी गई। पूछताछ पर उसने अवैध शराब अपने आंगन में छिपाकर रखना स्वीकार किया। तलाशी में एक जरीकेन और छह बोतलों में कुल 17 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,400 रुपये आंकी गई। वहीं उसी गांव में टीका राम डनसेना, उम्र 32 वर्ष, पिता दया राम डनसेना के घर कोलाबाड़ी में छापा मारकर पुलिस ने दो प्लास्टिक डिब्बा और चार बोतलों में भरी 33 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6,600 रुपये बताई गई।

तीसरी और बड़ी कार्रवाई ग्राम सोनबरसा में की गई, जहां मुखबिर की सूचना पर भारती चौहान, उम्र 32 वर्ष, पत्नी भरतलाल चौहान के घर के पीछे कोलाबाड़ी में अवैध शराब भट्ठी पकड़ी गई। मौके पर महिला शराब बनाते पाई गई। वहां से 15 लीटर महुआ शराब (कीमत 3,000 रुपये), शराब बनाने में प्रयुक्त दो एल्युमिनियम बर्तन (कीमत 1,500 रुपये) और पाइप युक्त स्टील ढक्कन जब्त किया गया।

इन तीनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 214/2025, 215/2025 और 217/2025 के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई की गई है।

शराब विरोधी इस मुहिम में प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर के साथ एएसआई उमाशंकर घृतांत, हेड कांस्टेबल बिरीछ सान्डे, सुमेश गोस्वामी, सरोजनी राठौर, कांस्टेबल मनोज भारती, सत्यानारायण सिदार, हेमलाल सिदार और महिला कांस्टेबल मेनका चौहान ने सराहनीय भूमिका निभाई।

पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक मंगाए गए ऑनलाइन आवेदन

रायगढ़

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म पुरस्कारों के लिए वर्ष 2026 हेतु लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नामांकन प्रस्ताव 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। जिले के पात्र एवं योग्य व्यक्तियों के नामांकन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 जुलाई 2025 तक प्रस्तावों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण कर कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करें।

जारी निर्देशों के अनुसार जिले के पात्र व्यक्तियों के नामांकन प्रस्ताव 15 जुलाई 2025 तक संबंधित विभाग द्वारा भेजे जाने चाहिए। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सर्व विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन के मापदंडों के अनुरूप योग्य उम्मीदवारों के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी प्रस्ताव प्रमाणित, सही और निर्धारित प्रारूप में समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

गौरतलब है कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इनमें कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।

छेड़खानी की शिकायत पर महिला थाना ने की त्वरित कार्यवाई, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की एक युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी रामकुमार भगत को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर युवती को मोबाइल फोन पर लगातार परेशान करने, रास्ते में छेड़खानी करने और फिर घर में घुसकर गाली-गलौच करने के आरोप हैं। महिला थाना की सख्त कार्रवाई के चलते मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

पीड़िता ने 14 अप्रैल को महिला थाना में आवेदन दी कि ग्राम लोईग निवासी रामकुमार भगत (उम्र 29 वर्ष) जनवरी 2025 से उसे मोबाइल फोन पर बार-बार कॉल कर शादी का प्रस्ताव देता था और अकेले मिलने का दबाव बना रहा था। युवती ने बताया कि 11 मार्च की सुबह जब वह अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब रास्ते में रामकुमार ने उसका हाथ पकड़कर मोबाइल नंबर मांगते हुए अश्लील हरकत की। युवती ने बहाना बनाकर किसी तरह उससे पीछा छुड़ाया, लेकिन इसके दो दिन बाद 13 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे रामकुमार उसके घर में जबरन घुस आया और गाली-गलौच करने लगा। जब युवती के पिता बीच-बचाव को आए, तो उन्हें भी अपशब्द कहे और धमकी देकर भाग निकला।

युवती के आवेदन पर महिला थाना ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 06/25 धारा 75(3), 78(2), 331(2) व 296 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया और तत्काल टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी मौके से फरार था, लेकिन पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसे कल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश जारी किया, जिसके तहत उसे जिला जेल रायगढ़ में दाखिल किया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे और प्रधान आरक्षक राजेश उरांव की प्रमुख भूमिका रही।

चौकी खरसिया पुलिस ने मोबाइल शॉप में चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

रायगढ़

पोस्ट ऑफिस रोड स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान से ईयरबड्स, पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और कैमरा की चोरी करने वाले आरोपी को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पहचान श्याम केंवत उर्फ लैलु (उम्र 19 वर्ष) निवासी पुरानी बस्ती खरसिया के रूप में हुई है।

मामले की रिपोर्ट 24 फरवरी 2025 को विवेक गुप्ता (26 वर्ष), वार्ड क्रमांक 05 हमालपारा खरसिया निवासी द्वारा चौकी खरसिया में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि वह नगरपालिका द्वारा आबंटित दुकान क्रमांक 56 में 'विवेक मोबाइल' के नाम से मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है। 20 और 21-22 फरवरी की दरम्यानी रात उसकी दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा चार नग ईयरबड्स, एक पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एक कैमरा समेत कुल करीब 11,520 रुपये के सामान चोरी कर लिए गए।

आवेदन पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 98/2025, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस बीच आज खरसिया चौकी प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में श्याम केंवत उर्फ लैलु शामिल है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे तलब किया और पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया।

आरोपी के मेमोरेंडम पर चोरी गया एक पावर बैंक, दो मेमोरी कार्ड, एक सीसीटीवी कैमरा और एक पेन ड्राइव कुल 4,600 रुपये का सामान बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर भेजा गया है।

इस पूरी कार्रवाई में एएसआई मनोज पटेल और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही, जिन्होंने तत्परता से न केवल आरोपी को पकड़ा, बल्कि चोरी गए सामान का बरामद किया। पुलिस अब अन्य दो साथियों की तलाश में जुट गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480